राजस्थान सरकार

निदेशालय निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ दिनांक :–

कार्यालय आदेश

संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(12)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 29.09.2025 (प्रति संलग्न) के अनुरारण में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर की ई–बिड संख्या 14/2022–23 दिनांक 22.07.2022 द्वारा 37578 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर 75 करोड़ रूपये के प्री–प्राईमरी बाल मैत्रीपूर्ण फर्नीचर की आपूर्ति में फर्म द्वारा निविदा व नियगों की अवहेलना कर सरकार को पहुंचाई गई हानि की विशेष जांच हेतु निम्नानुसार विशेष जांच दल का गठन किया जाता है :–

1.	श्री रमेश चन्द रैगर,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I,	(प्रभारी, आ.जां.दल सं. 08, जयपुर)	प्रभारी
2.	श्री प्रभु दयाल दीक्षित,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,	(प्रभारी, भौ.स.दल सं. 07, जयपुर)	सदस्य
3.	श्री प्रवीण शर्मा,	सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II,	(सदस्य, भौ.स.दल सं. 09, जयपुर)	सदस्य

विशेष जांच कार्य संयुक्त शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प.5(12)वित्त/अंकेक्षण/2025 दिनांक 29.09.2025 (प्रति संलग्न) के अनुसार सम्पादित करेंगे।

उपरोक्त जांच दल को निर्देशित किया जाता है कि समसंख्यक आदेश क्रमांक 21850 दिनांक 29.09.2025 द्वारा सौपे गये विशेष जांच कार्य के साथ–साथ इस विशेष जांच का कार्य प्रारम्भ कर अनियमितताओं के लिए अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये जांच कार्य 15 दिवस में पूर्ण कर विशेष जांच प्रतिवेदन 04 प्रतियों में (दो मूल प्रति सहित) मय परिशिष्टो के निदेशालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

Sd
(कीर्ति जैन)
निदेशक

क्रमांकः एफ.7(वि.जाँ.) /2025–26/ 21987-22001 दिनांक :– 03-10-25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि विशेष जांच दल को जांच कार्य हेतु वांछित रिकॉर्ड उपलब्ध कराते हुए जांच में पूर्ण सहयोग प्रदान करावें।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान, जयपुर।
7. प्रभारी, आंतरिक जांच शाखा/भौतिक सत्यापन/संस्थापन/लेखा/रोकड़ शाखा।
8. संबंधित जांच दल प्रभारी/सदस्य श्री रमेश चन्द रैगर, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, प्रभारी, आ.जां.दल सं. 08, जयपुर/श्री प्रभु दयाल दीक्षित, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, प्रभारी, भौ.स..दल सं. 07, जयपुर/श्री प्रवीण शर्मा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II, प्रभारी, भौ.स..दल सं. 09, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है वर्तमान में सम्पादित की जा रही विशेष जांच के साथ–साथ उपरोक्तानुसार विशेष जांच कार्य भी सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करें।
9. सूचना सहायक, निदेशालय, निरीक्षण विभाग, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रभारी, विशेष जांच दल को ई–मेल द्वारा भिजवाया जाना एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करावें।
10. रक्षित पत्रावली।

(रामेश्वर परसोया)
अतिरिक्त निदेशक
(अंकेक्षण)

चतुर्थ तल, ए–ब्लॉक, वित्त भवन, जयपुर टेलीफेक्स –0141–2740324 ईमेल–dir-ins-rj@nic.inD://SPECIAL/SPECIAL 2025-26.DOCX.850